

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/विनि.क्षेत्र./अलेसे-III/8512-8537

दिनांक:- 22.06.2015

कोषाधिकारी,

कोष कार्यालय बांरा, बाडमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, श्रीगंगानगर, जयपुर(शहर), जयपुर (ग्रामीण), जयपुर (सचि.), जयपुर (पेंशन), जैसलमेर, कोटा, करौली, पाली, प्रतापगढ़, राजसमन्द, स.माधोपुर, सीकर, सिरौही, एवं टोंक।

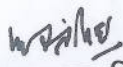
विषय :- विनिर्दिष्ट अधिसूचित क्षेत्र में सेवाएं देने के संबंध में लेखाकर्मियों से प्राप्त विकल्प पत्र भिजवाने बाबत।

संदर्भ :- इस विभाग की विज्ञप्ति एफ.4(ई)(1)(6)/विनि.क्षेत्र./अलेसे-III/2203-7266 दिनांक 05.05.2015 ।

विषयान्तर्गत लेख है कि विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिक वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तों) नियम 2014 की अनुपालना में विभाग की संदर्भित विज्ञप्ति दिनांक 05.05.2015 द्वारा विनिर्दिष्ट क्षेत्र में सेवाएं देने हेतु विकल्प से शेष रहे लेखाकर्मियों के विकल्प पत्र कोषाधिकारियों के माध्यम से आमंत्रित किये गये थे। उपरोक्त विज्ञप्ति में विकल्प से शेष रहे लेखाकर्मियों द्वारा अपना विकल्प पत्र कार्यालयाध्यक्ष से अग्रेषित करवाकर दिनांक 15.05.2015 तक संबंधित कोषाधिकारी को प्रेषित करने के निर्देश दिये गये थे तथा संबंधित कोषाधिकारियों द्वारा उक्त प्रकार प्राप्त विकल्प पत्रों को दिनांक 22.05.2015 तक इस विभाग में भिजवाया जाना था। इस हेतु विभागीय पत्र संख्या 8100-140 दिनांक 22.05.2015 द्वारा स्मरण पत्र भी प्रेषित किया गया था। किन्तु इस संबंध में आपके जिले से विकल्प पत्र प्राप्त होने की कोई सूचना निदेशालय में अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

अतः आप अपने जिले में कार्यरत लेखाकर्मियों (क.लेखाकार/सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I/II) से प्राप्त विकल्प पत्रों को इस विभाग को तुरन्त प्रेषित करना सुनिश्चित करें। यदि आपके जिले में कोई विकल्प पत्र प्राप्त नहीं हुआ हो तो भी तदनुसार इस आशय का प्रमाण पत्र कि "विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिक वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तों) नियम 2014 के नियमों के तहत अधीनस्थ लेखा सेवा के सभी राज सेवकों को सूचित कर दिया गया है तथा ऐसा कोई राज सेवक नहीं रहा है, जिसे इस प्रकार सूचित नहीं किया गया है", निदेशालय को फैक्स/ई-मेल के माध्यम से तुरन्त भिजवाने का श्रम करें।

कृपया पत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

  
(जसवन्त सिंह)  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-III)

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/विनि.क्षेत्र./अलेसे-III/8512-8537

दिनांक:- 22.06.2015.

प्रतिलिपि :- उपनिदेशक, एसीपी को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-III)